



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 704) पटना, बुधवार, 1 जुलाई 2026

सं०-6 एस०एस०(6)65/2025-4345
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-03.10.2025.

विषय :-

गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 09 (नौ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति तथा उक्त के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार रुपये 4,47,37,692/- (रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख सैंतीस हजार छः सौ बानवे) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 09 (नौ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति तथा उक्त के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार रुपये 4,47,37,692/- (रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख सैंतीस हजार छः सौ बानवे) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

- राज्य में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गव्य प्रक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ जैसे समग्र गव्य विकास योजना, देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना, किसान प्रशिक्षण योजना, पशु बीमा योजना आदि क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाएँ राज्य के सभी 38 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना का सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
- राज्य के 09 जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय स्वीकृत/स्थापित नहीं है। उक्त के क्रम में राज्य के 09 जिले यथा-पू० चम्पारण (मोतिहारी), शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, वैशाली, रोहतास, बक्सर

- एवं जहानाबाद में जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। 09 जिलों में जिला गव्य विकास पदाधिकारी का कार्यालय नहीं होने के कारण दुग्ध उत्पादकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 09 (नौ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति की आवश्यकता है।
- 4) इन कार्यालयों की स्थापना एवं पदों के सृजन होने से जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सूचारु एवं सुगम रूप से हो सकेगा। फलस्वरूप राज्य के सभी जिलों को गव्य विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जा सकेगा। इससे न केवल सभी जिलों का समग्र विकास होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- 5) इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य के शेष 09 जिलों यथा—पूँ चम्पारण (मोतिहारी), शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, वैशाली, रोहतास, बक्सर एवं जहानाबाद में नये जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित किया जायेगा। प्रस्तावित 09 जिलों में निम्नलिखित कुल 72 नये पदों के सृजन किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मचारी पद नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	वेतन स्तर	प्रस्तावित पदों की संख्या
1.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	₹ 47600-151100 ग्रेड पे -₹4800	08	09
2.	डेयरी फिल्ड ऑफिसर	₹ 35400-112400 ग्रेड पे -₹4200	06	27
3.	उच्च वर्गीय लिपिक	₹ 25500-81100 ग्रेड पे -₹2400	04	09
4.	निम्न वर्गीय लिपिक	₹ 19900-63200 ग्रेड पे -₹1900	02	09
5.	कार्यालय परिचारी	₹ 18000-56900 ग्रेड पे -₹1800	01	18
कुल				72

- 6) इन कार्यालयों की स्थापना एवं पदों के सृजन होने से जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सूचारु एवं सुगम रूप से हो सकेगा। फलस्वरूप राज्य के सभी जिलों को गव्य विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जा सकेगा। इससे न केवल सभी जिलों का समग्र विकास होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा स्वरोजगार का सृजन होगा।
- 7) जिला गव्य विकास पदाधिकारी का पद सम्बर्गीय एवं कैडर का पद है, इसलिए वरीयता क्रमानुसार कार्यरत कर्मी द्वारा नियुक्ति नियमावली में निहित प्रावधानों को अपनाते हुए भरा जायेगा।
- 8) इन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार का वहन बजट शीर्ष-2404 -डेयरी विकास, 102 -डेयरी विकास परियोजनाएँ, 0010 -क्षेत्रीय स्थापना-मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2404001020010 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- 9) दिनांक-24.09.2025 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 09 (नौ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)65/2025 के पृष्ठ-07/प०.
- 10) दिनांक-03.10.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तावित स्कीम को मद संख्या-106 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)65/2025 के पृष्ठ-18/टि०.
- 11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)65/2025 के पृष्ठ-19/टि० एवं डायरी संख्या-शून्य, दिनांक-03.10.2025.
- 12) वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
गीता सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक-1

व्यय विवरणी

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य के 09 जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना की योजना पर सम्भावित व्यय की गणना विवरणी

क्र०	पदनाम एवं पुनरीक्षित वेतनमान	पदों की संख्या	पे लेवल	पुनरीक्षित					9 कार्यालयों के लिए वास्तविक स्वीकृत पदों के अनुसार एक माह का अनुमानित कुल वेतन	09 (नौ) कार्यालयों के लिए वास्तविक स्वीकृत पदों के अनुसार एक वर्ष के लिये अनुमानित कुल वेतन/अन्य व्यय
				मूल वेतन	जीवन यापन भत्ता (55%)	मकान किराया भत्ता (10% एवं 7.5%)	चिकित्सा भत्ता	शहरी परिवहन भत्ता (नगर निगम से संबंधित केवल 5 कार्यालयों के लिये)		
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी रु० 47600-151100 (पे लेवल-8) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	9	08	47600x9= 428400	26180x9= 235620	8X4760=38080 1X3570=3570 कुल-41650	1000x9= 9000	5X1550=7750	722420	722420X12 = 8669040
2	डेरी फ़िल्ड ऑफिसर रु० 35400-112400 (पे लेवल-6) प्रत्येक कार्यालय में तीन पद	27	06	35400x27= 955800	19470x27 = 525690	24X3540=84960 3X2655=7965 कुल-92925	27X1000= 27000	15X930=13950	1615365	1615365X12 = 9384380
3	उच्च वर्गीय लिपिक रु० 25500-81100 (पे लेवल-4) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	9	04	25500x9= 229500	14025x9= 126225	8X2550=20400 1X1913=1913 कुल-22313	1000x9= 9000	5X930=4650	391688	391688X12 = 4700256
4	निम्न वर्गीय लिपिक रु० 19900-63200 (पे लेवल-2) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	9	02	19900x9= 179100	10945x9= 98505	8X1990=15920 1X1493=1493 कुल-17413	1000x9= 9000	5X930=4650	308668	308668X12 = 3704016
5	कार्यालय परिचारी रु० 18000-56900 (पे लेवल-1) प्रत्येक कार्यालय में दो पद	18	01	18000x18= 324000	9900x18= 178200	16X1800=28800 2X1350=2700 कुल-31500	1000x18= 18000	10X930=9300	561000	561000X12 = 6732000
	कुल	72		2116800	1164240	205801	72000	40300	3599141	43189692
	यात्रा व्यय							रु० 50000/- प्रत्येक कार्यालय x 9=450000		450000
	कार्यालय व्यय							रु० 50000/- प्रत्येक कार्यालय x 9=450000		450000
	किराया महसूल एवं कर					@6000/-p.m		रु० 72000/- प्रत्येक कार्यालय x 9=648000		648000
	कुल अनुमानित व्यय							(रुपये चार करोड़ सैतालीस लाख सैंतीस हजार छः सौ बानवें) गीता सिंह, सरकार के अपर सचिव।		रु० 4,47,37,692/-

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 704-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>